email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स 0135-2431164,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 2138 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 18 / 04 /2022,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 है0 वन भूमि नगर पंचयत गजा को प्रत्यावर्तन हेतु (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/Others/29354/2017)

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक– 3429/12–1, दिनांक – 12.04.2022,।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव कितने वर्षो हेतु लीज पर लिया गया है, इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न नही किया गया है, जबकि ऑनलाईन पैरा–A-(x) में वन भूमि 30 वर्षो हेतु लिया जाना अपलोड किया गया है।	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु वन भूमि, वन संरक्षण, अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु तैयार कर ऑन लाईन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है भाग–01 पैरा–A-(x) में त्रुटिवश उक्त प्रस्ताव 30 वर्षो हेतु के लीज पर लिया जाना अंकित हो गया था, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–13 वैकल्पिक समरेखण को रिक्त दर्शाया गया है, परिपेक्ष्य में वैकल्पिक समरेखण का तुलनात्कम विवरण अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है, नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु प्रस्तावित वन भूमि ही एकमात्र विकल्प है, उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही है, जिस कारण प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–13 को रिक्त दर्शाया गया है।
3	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्रीमती मन्जू चौहान, अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु ही श्री गम्भीर सिंह तहसीलदार को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री गम्भीर सिंह तहसीलदार को अधिकृत/नामित किया गया है, जिससे सम्बन्धित अभिलेख/दस्तावेज प्रस्ताव के ऑनलाईन/प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में चस्पा कर दी गयी है।
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रारूप–30 को (Other than linear) श्रेणी का प्रस्ताव में संलग्न किया जाये। इसके अतिरिक्त सही प्रमाण–पत्र भी ऑनलाईन यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा जारी वन अधिकार अधिनियम, 2006 प्रारूप–30 (Other than linear) श्रेणी का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त प्रारूप–30 को ऑनलाईन भाग–01 एवं भाग–02 में भी संशोधित कर दिया गया है।
5	प्रस्तावित कार्य के ले–आऊट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की के0एम0एल0 फाईल में ले–आऊट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित के0एम0एल0 यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करे।	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा परियोजना की संशोधित के0एम0एल0 फाईल यथास्थान पर अपलोड कर दी गयी है।

Scanned with CamScanner

	...ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूडा निस्तारण) हेतु ...तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव ...संलग्न करने का कष्ट करे।	**बिन्दु संख्या–06** के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित कार्य करने वाली फर्म ग्रो–ग्रीन के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति निकाय के अधीन/स्वामित्व वाली भूमियों जहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य कर उक्त ठोस अपशिष्ट से निकला हुआ डिस्पोजेबल जिसका सैनेटरी लैंडफिल में न्तिसारण किया जाता है, तथा 05.00 मिट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा उत्सर्जित करने वाली उन निकायों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। चूंकि नगर पंचायत गजा एक नवसृजित नगर पंचायत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किये जाने हेतु निकाय उपरोक्त विषय में वर्णित भूमि को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही कर रही है। उक्त भूमि में सैनेटरी लैंडफिल का निर्माण नही करवाया जायेगा तथा निकाय की जनसंख्या–2011 के अनुसार 2098 है जिसके अनुसार निकाय कूड़ा उत्सर्जन की मात्रा 05.00 मिट्रिक टन से कम है। (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 08 अप्रैल 2016 की गजट नोटिफिकेशन की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नकः–3 प्रतियों में।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक

संख्या –2138 / 12-1 , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

O/C

(हस्ताक्षर)
(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक

Scanned with CamScanner